>

Title: Need to undertake repair work of Sharda Sahayak Canal and thereafter release sufficient quantity of water in the canal for irrigation purposes in Sulatanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): नियम 377 के माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष के दौरान रबी एवं खरीफ की फसल के समय उत्तर प्रदेश की नहरों में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में शारदा सहायक नहर से किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाया, जिससे कई किसानों की फसल खराब हो गयी। खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि जब इन नहरों से पानी की आवश्यकता थी तब इन नहरों में पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया और उस समय नहरों में धूल उड़ रही थी। किसानों को सिंचाई उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार का है और इस कार्य के लिए किसानों से पैसा भी लिया जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में शारदा सहायक अंतर्गत नहर खंड 49 एवं 16 की दशा अत्यंत खराब है और नहरों की सफाई कई सालों से नहीं हो पाई है। कई जगह नहरों में गड्ढ़े होने से पिछले साल इन गड्ढ़ों से पानी रिसकर कई किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं। इन प्रखण्डों पर मरम्मत कार्य नहीं होने से शारदा सहायक खण्ड 49 एवं 16 की दशा अत्यंत शोचनीय है।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार खरीफ एवं रबी की फसल के समय देश की सभी नहरों से पानी की आपूर्ति करने का प्रावधान बनाये जिससे किसान समय पर अपनी फसल की सिंचाई कर सकें और जहां-जहां पर मरम्मत कार्य एवं सफाई की आवश्यकता है उसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।